भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2859

(19 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राजस्थान में ग्रामीण विकास

2859. श्री नीरज डांगी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राजस्थान में आर्थिक-ग्रामीण विकास और अवसंरचना के लिए चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं में अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से प्राप्त संतोषजनक परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार राजस्थान के स्थानीय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने का विचार रखती है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय रोजगार सृजन करके, आजीविका अवसरों का सुदृढ़ीकरण करके, स्वरोजगार को बढ़ावा देकर, ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास करके, सामाजिक सहायता तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से राजस्थान राज्य सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। वास्तविक और वित्तीय प्रगति सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य में कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(i). **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) :** महात्मा गाँधी नरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को इच्छुक वयस्क

सदस्यों वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार देकर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना ह॥ इस योजना में लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से टिकाऊ और स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन पर बल दिया जाता ह॥

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 16.03.2021 की स्थिति के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में 43 करोड़ से अधिक श्रमदिवसों का सृजन किया गया ह□और 7916 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 16.03.2021 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत राज्य में लगभग 1200575 अनुमेय कार्य शुरू किए गए हैं।

(ii) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम): मंत्रालय वर्ष 2011 से देश भर में मिशन मोड में डीएवाई-एनआरएलएम कार्यान्वित कर रहा ह□ जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना तथा आर्थिक कार्यकलाप शुरू करने के लिए उनका तब तक निरंतर मार्गदर्शन और सहायता करना ह□जब तक वे अपने जीवन-स्तर में सुधार लाने और गरीबी के दुष्चक्र से निजात पाने के लिए निश्चित समयावधि में अपनी आय में सराहनीय वृद्धि नहीं कर लेती हैं। इसके अलावा, डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत उप योजना स्टार्टअप ग्राम उद्दयमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) का उद्देश्य स्व-सहायता समूह (एसएसजी) और उनके परिवार के सदस्यों को गै॥-कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम लगाने के लिए सहायता करना ह॥

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान (28.02.2020 की स्थिति के अनुसार) राजस्थान राज्य में एनआरएलएम के अंतर्गत कुल 132.19 करोड़ रूपए रिलीज किए गए हैं। 31 जनवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार राजस्थान के 33 जिलों के 295 ब्लॉकों में डीएवाई-एनआरएलएम को कार्यान्वित किया जा रहा ह॥ कुल 21.70 लाख ग्रामीण परिवारों को 1.87 लाख स्व-सहायता समूहों में संगठित किया जा चुका ह□और आगे 14400 ग्राम संगठनों (वीओ) तथा 469 क्लस्टर स्तरीय संघों (सीएलएफ) में संघबद्ध किया जा चुका ह॥ एसएचजी सदस्यों को क्रेडिट देने के लिए एसएचजी और उनके संघों को अब तक कुल 931 करोड़ रूपए की पूँजी लागत सहायता (परिक्रामी निधि और सामुदायिक निवेश निधि) उपलब्ध कराई गई ह॥ 31 जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार, एसवीईपी के अंतर्गत पांच ब्लॉकों में उद्यम स्थापित करने का काम शुरू हो गया ह□और अब तक 5448 उद्यम लगाए जा चुके हैं।

(iii) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई):

दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए रोजगार से संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रम ह। जिसे सितम्बर, 2014 से कार्यान्वित किया जा रहा ह। ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से भी कौशल विकास किया जा रहा ह। ताकि प्रशिक्षु बैंक से क्रेडिट लेकर अपना स्वयं का लघु उद्यम शुरू कर पाएं। ऐसे कुछ प्रशिक्षु नियमित वेतन वाले रोजगार भी खोज सकते हैं। ऊपर उल्लिखित दोनों योजनाओं का उद्देश्य मजदूरी या स्वरोजगार के लिए ग्रामीण गरीब युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना ह। जिससे ग्रामीण आजीविका की अड़चनों को दूर करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आय को सुदृढ़ करते हुए देश के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

राजस्थान राज्य में डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21(28.02.2021 की स्थिति के अनुसार) कुल 48.39 करोड़ रूपए का व्यय (राज्य अंश सहित) किया गया ह। और 359 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया ह। तथा 1374 अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाया गया ह। इसी प्रकार राजस्थान राज्य में आरएसईटीआई के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में (28.02.2021 की स्थिति के अनुसार) कुल 4.37 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं और कुल 16547 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया ह। तथा 8387 अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाया गया ह।

(iv) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी): पीएमएवाई-जी का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं सहित पक्का आवास प्रदान करना ह। 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2021-22 तक 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया ह। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 16.03.2021 की स्थिति के अनुसार, कुल 1108.58 करोड़ रूपए खर्च किए गए हैं (राजस्थान के व्यय नियंत्रण पंजी के अनुसार), 433306 मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया ह। तथा 57740 मकानों का निर्माण किया जा चुका ह।

(v) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई): प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) वर्ष 2000 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य पात्र सड़क संपर्क विहीन बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना ह। तदुपरांत, इस योजना के उद्देश्य का

विस्तार किया गया और बसावटों को विभिन्न सुविधाओं तथा सेवाओं से जोड़ने वाले मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क का उन्नयन करने के लिए नए कार्यकलाप अर्थात् पीएमजीएसवाई-II और पीएमजीएसवाई-III जोड़े गए। मौजूदा पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन से ग्रामीण जन समुदाय को विभिन्न सेवाएं तथा सुविधाएं, बाजार तक पहुँच और विभिन्न रूपों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने में बहुत अधिक सहायता मिली ह।

राजस्थान राज्य को इस योजना के विभिन्न कार्यकलापों/कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 75,332 कि.मी. लंबी सड़क स्वीकृत की गई ह जिसमें से 68,197 कि.मी. लंबी सड़क बनाई जा चुकी ह और 13,306 करोड़ रूपए का व्यय किया गया ह।

(vi) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम): फरवरी, 2016 में शुरू किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) एक ऐसी योजना ह जिसका उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, आधारभूत सेवाओं को बढ़ावा देना और सुनियोजित रुर्बन क्लस्टरों का निर्माण करना ह। इस मिशन में विकास के लिए क्लस्टर को एक इकाई माना जाता ह। इस मिशन के पहले चरण में जनजातीय और गै-जनजातीय श्रेणियों में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 300 क्लस्टरों का चयन किया गया ह। एसपीएमआरएम के अंतर्गत आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने वाली परियोजना के लिए अनिवार्यपूरक वित्त पोषण प्रदान किया जाता ह। एसपीएमआरएम का उद्देश्य सामाजिक समावेशन के साथ समेकित और संतुलित निवेशों के माध्यम से आधारभूत, आर्थिक, सामाजिक और डिजिटल नामक चार श्रेणियों में सुविधाएं प्रदान करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना ह।

राजस्थान राज्य के लिए 16 क्लस्टरों में से 15 क्लस्टरों की समेकित क्लस्टर कार्य-योजना (आईसीएपी) को मंत्रालय ने अनुमोदित कर दिया ह। 15 क्लस्टरों की आयोजना अधिसूचित कर दी गई हऔर 15 क्लस्टरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) द्वारा अनुमोदित कर दिया गया ह। प्रस्तावित 6542 कार्यों में से 1027 कार्य पूरे कर लिए गए हैं और 198 कार्य चल रहे हैं। राजस्थान के लिए कुल 1373.37 करोड़ रूपए का निवेश अनुमोदित किया गया ह तथा तालमेल और अनिवार्यपूरक निधि (सीजीएफ) सहित 705.63 करोड़ रूपए व्यय किए गए हैं।

(vii) सासंद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई): सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) का शुभारंभ दिनांक 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना फ्रेमवर्क के

अंतर्गत किसी अतिरिक्त निधि का आवंटन किए बिना संबंधित मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकार की मौजूदा विकास योजनाओं के प्रभावी तालमेल और कार्यान्वयन के माध्यम से ग्राम पंचायतों के विकास की परिकल्पना की गई ह।

(घ) राजस्थान राज्य में ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं ह। तथापि, इस मंत्रालय ने जुलाई, 2011 से जून, 2018 तक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनआरएलपी) कार्यान्वित की ह जिससे विकास संरचना तैयार करने, सामाजिक एकजुटता तथा क्षमता निर्माण शुरू करने, पूँजी लागत सहायता उपलब्ध कराने और बैंकों के साथ क्रेडिट लिंकेज स्थापित करने में सहायता करके राजस्थान सहित सर्वाधिक गरीबी वाले 13 राज्यों (असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, ओड़िशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) में डीएवाई-एनआरएलएम का "अवधारणा साक्ष्य" तैयार करने में मदद मिली। मिशन की नई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन्हीं 13 राज्यों में इस परियोजना के अगले चरण अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एनआरईटीपी) का कार्यान्वयन शुरू किया जिसमें महिला स्व-सहायता समूहों के संघों को मजबूत बनाने, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में आजीविका समूहों का गठन करना तथा डिजिटल वित्त पोषण और जोखिम कवरेज पर विशेष ध्यान दिया जाता ह। राजस्थान के लिए एनआरईटीपी के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिए (फरवरी, 2021 तक) जारी की गई निधि 3.93 करोड़ रूपए ह।